न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 42 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 वीरमाराम 2 भानाराम पिसरान खंगाराराम 3 जुगताराम पुत्र दलाराम जाति जाट (जाखड़) निवासी लाणीकांठा, मंगने की ढाणी, कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर।		1 कानाराम पुत्र पूराराम 2 भगवानाराम 3 पेमाराम पिसरान टीकमाराम 4 पेमाराम 5 गिरधारीराम 6 नरसिंगाराम पिसरान मोटाराम जाति जाट (जाखड़) निवासी बांकाणियों का वास, मंगने की ढाणी, 7 हरखाराम पुत्र पूराराम 8 श्रीराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट (जाखड़) निवासी लाणीकांठा, मंगने की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक आरएसीसी शाखा पनघट रोड बाडमेर 10 शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा कुड़ला 11 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री सुनिल बीएल रामावत, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 09/09/21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 576 / 134 रकबा 104.14 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत खसरा नम्बर 573 / 134 रकबा 104.14 बीघा भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2021 / 2616 दिनांक 08.09.2021 द्वारा रास्ते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि कि प्रार्थीगण के मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 576 / 134 रकबा 104.14 बीघा भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत खसरा संख्या 573 / 134 रकबा 104.14 बीघा भूमि के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त खसरा संख्या उतरलाई रोड मंगने की ढाणी डामर सड़क तक आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 08 की भूमि मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 573 / 134 में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार 17 जरीब 8 गठ्ठा है, 12 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

करीब 0.16 बीघा भूमि बनती है। राजस्व ग्राम लाणीकांठा की डीएलसी दर सड़क मार्ग पर 47551/- रू. प्रति बीघा है। उक्तानुसार 0.16 बीघा भूमि की डीएलसी दर 38040.80/- रूपये बनती है जिसकी दूगुनी राशि 76081.60/- रू. निर्धारित होती है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है।

अतः वकील प्रार्थीगण की सहमति के मद्देनजर मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 576/134 रकबा 104.14 बीघा भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 08 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 08 की भूमि मौजा लाणीकांठा पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 573/134 में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाई गई भूमि बरंग बैंगनी अनुसार 17 जरीब 8 गठ्ठा है, 12 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु करीब 0.16 बीघा भूमि बनती है। राजस्व ग्राम लाणीकांठा की डीएलसी दर सड़क मार्ग पर 47551/- रू. प्रति बीघा है। उक्तानुसार 0.16 बीघा भूमि की डीएलसी दर 38040.80/- रूपये बनती है जिसकी दूगुनी राशि 76081.60/- रू. प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में परिशिष्ठ-'अ' में दर्शाये बैंगनी रंग की भूमि को रास्ते के रूप में अमल दरामद करावें तथा उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 01 से 08 को नियमानुसार करे। लठा ट्रेस मे तरमीम करावे। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03/09/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर